संख्या–1515/पांच–5–2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक 18 जुलाई, 2020

विषयः–प्रदेश में कोविड–19 से संक्रमित लक्षण विहीन रोगियों के लिए होटल में **एल–1+** स्तर की चिकित्सा सुविधा प्रारम्भ करने के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में अभी तक कोविड–19 से संक्रमित (कोरोना पाजिटिव) रोगियों को होम आइसोलेशन अनुमन्य नहीं किया गया है। शासन के संज्ञान में यह आया है कि कुछ लक्षण रहित तथा अत्यन्त धीमी लक्षण वाले (Very Mild) मरीज कोविड केयर सेन्टर में पर्याप्त सुविधाएं न मिल पाने के कारण भर्ती नहीं होना चाहते हैं और इसलिए अपनी बीमारी को छुपाने का प्रयास करते हैं।

2– अतः शासन द्वारा इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त कोविड–19 संक्रमित ऐसे लक्षण विहीन रोगियों के लिए, जो बेहतर सुविधाएं चाहते है तथा इन सुविधाओं हेतु व्यय करने की क्षमता भी रखते है, चिकित्सा हेतु एल–1+ स्तर की व्यवस्था प्रारम्भ किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत जनपदों में किसी होटल को जिला प्रशासन द्वारा कोविड केयर सेन्टर के रूप में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत संचालित किया जाएगाः–

(1) इस व्यवस्था के अन्तर्गत होटल का चयन एवं उसकी दर का निर्धारण जिला प्रशासन द्वारा इस प्रकार कराया जाएगा कि जिससे मरीजों पर ज्यादा बोझ न पड़े। यहॉ अवस्थान एवं भोजन पर आने वाला व्यय मरीजों द्वारा वहन किया जाएगा। डबल अकूपेन्सी के अच्छे कमरे का किराया प्रतिदिन रू0 2000/– एवं सिंगल अकूपेन्सी पर प्रतिदिन रू0 1500/– से अधिक नहीं होना चाहिए।

(2) इस एल–1+ चिकित्सा सुविधा में केवल लक्षण विहीन कोविड धनात्मक रोगियों को ही रखा जाएगा।

(3) यहॉ मरीजों की चिकित्सा व्यवस्था सरकार के चिकित्सकों एंव पैरामेडिकल स्टॉफ द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। इसके लिए मरीजों से प्रतीकात्मक एक मुश्त रू 2000/– की धनराशि ली जाएगी।

(4) जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा मरीज की स्थिति एवं सहमति के आधार पर एल–1+ सुविधा में भर्ती की अनुमति प्रदान की जाएगी।

(5) होटल के अधिकतम 25 प्रतिशत कक्ष सिंगल अकूपेन्सी पर महिलाओं, छोटे बच्चों, 50 वर्ष से 65 वर्ष तक के व्यक्तियों को दिए जाएगें। शेष 75 प्रतिशत कक्ष डबल अकूपेन्सी पर दिए जाएगें।

(6) इन होटलों में भर्ती होने वाले रोगियों से होटल का किराया तथा चिकित्सीय व्यय के रूप में रू0 2000/– का एक मुश्त भुगतान तथा अन्य शर्तो का पालन करने हेतु सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाया जाएगा।

(7) एल–1+ स्तर की इन सुविधाओं में साफ–सफाई इत्यादि की व्यवस्था का उत्तरदायित्व होटल का होगा।

(8) 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, किसी असाध्य रोग से ग्रस्त रोगियों एवं अभिभावक रहित छोटे बच्चों को यहाँ भर्ती नहीं किया जाएगा।

(9) राउण्ड द क्लॉक चिकित्सीय दल की व्यवस्था चिकित्सा विभाग (मुख्य चिकित्साधिकारी) के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें प्रत्येक 08 घण्टे की शिफ्ट हेतु एक डाक्टर (एम0बी0बी0एस0 अथवा आयुष), 02 नर्सिंग स्टाफ एवं 01 फार्मासिस्ट तैनात किया जाएगा।

(10) चिकित्सीय दल के रहने की व्यवस्था यथा सम्भव उसी होटल अथवा पास के भवन/होटल में की जाएगी।

(11) चिकित्साधिकारी द्वारा एम्बुलेन्स के माध्यम से मरीजों को एल–1+ पर लाने की व्यवस्था की जाएगी तथा यहाँ कम से कम 06 आक्सीजन सिलेण्डर भी रखें जाएगें। अलाटमेन्ट के पश्चात् मरीज स्वयं के साधन से भी आ सकेगा।

(12) एल–1+ स्तर की इन सुविधाओं पर कोविड केयर सेन्टर के समस्त प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। चिकित्सीय दल एवं अन्य स्टॉफ हेतु सुरक्षात्मक उपकरण पी0पी0ई0 किट, मास्क एवं सेनेटाइजर आदि की व्यवस्था मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा की जाएगी।

(13) किसी मरीज की तबियत बिगडने की आशंका होने पर उसे तत्काल आवश्यकतानुसर एल–2 अथवा एल–3 अस्पताल में स्थानान्तरित कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में अवशेष धनराशि उसे होटल द्वारा वापस कर दी जाएगी।

2— कृपया तद्नुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

18.7.20

(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–1515 (1)/पाँच–5–2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
2. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. आद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, चिकित्स शिक्षा विभाग/आयुष विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0।
7. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0।
8. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण।
9. निदेशक, संचारी रोग, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल) 18/7/2020
उप सचिव।

vk sir.go-com4